बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक ........................ 06/पणन(स0)–54/2025 /पटना, दिनांक– ....................

सेवा में,

महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰),
बिहार, पटना।

विषय :– बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत प्रखंड स्तर पर गठित प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (PVCS) में तरकारी आउटलेट संरचना निर्माण करने हेतु कुल 200 PVCS के लिए प्रति PVCS रू0 7,44,000/– सात लाख चौवालीस हजार) की दर से कुल राशि रू0 14,88,00,000/– (चौदह करोड़ अठ्ठासी लाख) मात्र का वित्तीय वर्ष 2025–26 में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत प्रखंड स्तर पर गठित प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (PVCS) में तरकारी आउटलेट संरचना निर्माण करने हेतु कुल 200 PVCS के लिए प्रति PVCS रू0 7,44,000/– सात लाख चौवालीस हजार) की दर से कुल राशि रू0 14,88,00,000/– (चौदह करोड़ अठ्ठासी लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 10615 दिनांक 05.12.2018 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त योजना का 25 प्रतिशत हिस्सा पूंजी की राशि रू0 3,72,00,000/– (तीन करोड़ बहत्तर लाख) मांग संख्या–09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–108 अन्य सहकारी समितियों में निवेश, उप शीर्ष–0166 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष–54 निवेश, विषय शीर्ष–01 निवेश, विपत्र कोड – 09–4425001080166, 50 प्रतिशत अनुदान मद की राशि रू0 7,44,00,000/– (सात करोड़ चौवालीस लाख) मांग संख्या–09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष– 2425 सहकारिता, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–108 अन्य सहकारी समितियों को सहायता, उप शीर्ष–0116 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष–31 सहायक अनुदान, विषय शीर्ष 05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड– 09–2425001080116 तथा 25 प्रतिशत ऋण मद की राशि रू0 3,72,00,000/– (तीन करोड़ बहत्तर लाख) की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ऋण मद का शीर्ष खोलने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रथम अनुपूरक से ऋण मद मे राशि प्राप्त होने के पश्चात् ऋण मद की राशि विकलनीय होगी।

3. PVCS को सरकारी ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गयी राशि की वसूली के संबंध में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन लि0, पटना द्वारा तैयार मानक संचालन प्रक्रिया के तहत ऋण वसूली की पूर्ण जिम्मेदारी बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन लि0, पटना का होगा।

4. योजना अन्तर्गत आधारभूत संरचना निर्माण कार्य पूर्ण करने की अधिकत्तम समय–सीमा छः माह की होगी। संरचना निर्माण हेतु बिहार राज्य भंडार निगम कार्यकारी एजेन्सी होगा जिसके तकनीकी सहयोग से निविदा के आधार पर संरचना निर्माण कराया जायेगा। संरचना निर्माण का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण संघ एवं वेजफेड द्वारा किया जायेगा। तदोपरांत निर्मित संरचना को निगम द्वारा PVCS को हस्तगत कराया जायेगा। इस प्रकार निर्मित संरचना का स्वामित्व PVCS के पास होगा एवं आउटलेट का व्यवसायिक संचालन PVCS द्वारा किया जायेगा।

5. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे जो उपलब्ध आवंटन के अन्तर्गत राशि की निकासी कर बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि0, पटना के खाते में स्थानांतरित करेंगे। इसके लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

क्र0पृ0उ0

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-7245 दिनांक–26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

7. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होगें।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पत्रांक 4989/वि0(2) दिनांक 16.05.2013 के आलोक में अंकित तथ्यों का अनुपालन करेंगे। साथ हीं उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 18 (अठारह) माह के अंदर प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार, पटना को तथा निबंधक, सहयोग समितियाँ के माध्यम से सहकारिता विभाग को प्राप्त करायेंगे।

9. योजना कार्यान्वयन हेतु प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (PVCS) का चयन निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना एवं बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि0, पटना द्वारा किया जायेगा।

10. योजना प्रस्ताव पर संचिका संख्या– 06/पणन(स0)–54/2025 के माध्यम से विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक 30.04.2025 (कार्यवाही ज्ञापांक 2101 दिनांक 02.05.2025) द्वारा अनुशंसा प्राप्त है साथ हीं संचिका के पृष्ठ संख्या 08/ टि0 पर दिनांक– 09.05.2025 को माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 06/पणन(स0)–54/2025 के पृष्ठ संख्या 7/टि0 पर दिनांक– 07.05.2025 को प्राप्त है।

12. इस राशि की स्वीकृति सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या– 06/पणन(स0)–54/2025 के पृष्ठ संख्या 8/टि0 पर दिनांक– 08.05.2025 को प्राप्त है।

ह० /-

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 83 / पटना, दिनांक 14/05/2025
06/पणन(स0)–54/2025

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफे के साथ।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा, बिहार, पटना)/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि0, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव/निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03 (बजट) सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र लिपिक कार्यालय निबंधक स0स0, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

14.05.25

सरकार के अपर सचिव।

14.05.2025